

काली मिर्च व सुपारी की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

अभियुक्त 19 जाली फर्मों को चला रहा, इन फर्मों का उद्देश्य जाली ई-वे बिल बनाना था

जयपुर, (कासं)।राजस्थान हाईकोर्ट ने काली मिर्च की तस्करी कर करस्टम विभाग को 12.53 करोड़ रुपये की ‘करस्टम ड्यूटी’ की हानि पहुंचाने के आरोपी, विजय कुमार विज्ञ, उर्फ राणा ठाकुर, को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश, विजय कुमार विज्ञ, द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इस मामले में करस्टम व जी.एस.टी. विभाग की ओर से अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज के साथ उनके सहायक अधिवक्ता आशुतोष रंगा और अजय सिंह भी पैरवी के लिए पेश हुए थे। इस मामले में करस्टम व जी.एस.टी. विभाग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि अभियुक्त, विजय कुमार विज्ञ, ने राणा ठाकुर की नाम की जाली पहचान बनाकर ‘गोल्डन फेदर टूडस’ नाम की एक जाली फर्म के अतिरिक्त प्रतिनिधि के तौर पर काली मिर्च के आयात, ‘क्लियरेंस’ और परिवहन का किया था। उन्होंने

- अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसके द्वारा तस्करी करने की वजह से करस्टम विभाग को कम से कम 12.53 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है

बताया कि 28, फरवरी, 2025 को अभियुक्त के घर पर तलाशी ली गई थी, जहां तीन आधार कार्ड मिले जिस पर क्रमशः राणा ठाकुर, विजय कुमार विज्ञ व विशाल महतो के नाम दर्ज थे। उन्होंने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान ही तीन मोबाईल फोन भी जब्त किये गये, जिनके ‘फोरेंसिक डाटा एक्स्ट्रैशन’ से सामने आया कि अभियुक्त 19 जाली फर्मों को चला रहा है और उन सभी फर्मों के दस्तावेज फोन में उपलब्ध थे।

अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज ने बताया कि 19 फर्म किसी किर्ति राज के निर्देश पर बनाई गई थी और इन फर्मों का उद्देश्य जाली ई-वे बिल बनाकर काली मिर्च, सुपारी की तस्करी कर एक जगह से दूसरी जगह भेजना था।

वहीं अभियुक्त, विजय कुमार विज्ञ, का कहना है कि उसे 28, फरवरी को गिरफ्तार किया गया, परन्तु उस पर लगाये गये आरोप झूठे हैं, और वह किसी भी तरह से काली मिर्च के आयात और उसके परिवहन से जुड़े व्यापार से सम्बन्ध नहीं रखता है।

अभियुक्त का कहना था कि क्योंकि आयातकर्ता नहीं है उस पर कर अदायगी का दायित्व नहीं है। उसका यह भी कहना था कि करस्टम एक्ट के अन्तर्गत लगाये गये आरोप जमानती अपराध है इसलिए उसे जमानत दे देनी चाहिए।

इसके अलावा अदालत के समक्ष पूरे मामले को सहानुभूति से देखने के लिए अभियुक्त अदालत को कहा कि वह डायबिटीज से बीमारी

से ग्रसित है, और उसका एक्सीडेंट होने की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे और वर्तमान में उसके शरीर में 20 रोड लगी हुई है, और उसका शरीर विकलांगता को प्राप्त हो चुका है। उसने कहा कि उसे पुलिस के अफसरों ने भी बुरी तरह सलुक किया है।

उसने अदालत के समक्ष अंतिम गुहार यह कि वह मामले में सहयोग करेगा और उसके भगाने की भी कोई संभावना नहीं है। अदालत ने अभियुक्त की जमानत रद्द करते हुए कहा कि उसके खिलाफ 12.53 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप है। अदालत ने कहा कि प्रकरण में जांच लम्बित है और इस स्तर पर जमानत का लाभ दिये जाने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा जांच को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निगम ने हटाए अस्थाई अतिक्रमण

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की सतर्कता शाखा ने गुरुवार को अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दस्ते ने जवाहर नगर, गोल मार्केट,आदर्श नगर, दिल्ली बाईपास रोड, रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए आठ टुक सामान और एक टुक बजरी का जब्त किया है। उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दस्ते में 35 हजार रुपए परिवहन शुल्क भी जमा किया और सड़क और बरामदे पर से अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया।

तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन कल से

- आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई, शुक्रवार से प्रारंभ होकर 10 अगस्त-2025 तक चलेगी

के अनुसार इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर एसी ट्रेन के लिए 50 हजार तथा हवाई यात्रा के लिए 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला स्तर पर कमेटी

द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर सीधे जाकर आवेदन किया जा सकता है। पहली बार ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति नजर आएगी। ढेर के बालाजी स्टेशन पर ट्रेन को खासतौर पर इस तीर्थ यात्रा के लिए डिजाइन किया है। विशेषतौर पर सभी 11 डिब्बों पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्योहार की झलक नजर आएगी। अलग-अलग थीम के साथ डिजाइन तैयार करवाई गई है। प्रत्येक डिब्बे पर राजस्थान के अलग-अलग मंदिर, दुर्ग, अन्य पर्यटक स्थल व अभयारण्य नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग ‘भील प्रदेश’ जैसे भ्रामक और विभाजनकारी विचार को बढ़ावा दे रहे हैं : राठौड़

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बांसवाड़ा-द्वारापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार राठौड़ के टवीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956’ पारित किया गया था जिसके तहत ही राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। संसद को मिला यह अधिकार राजनीतिक नारेबाजी या भावनात्मक उकसावों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित, प्रशासनिक आवश्यकता और जनकल्याण के आधार पर दिया गया है। आखिरी बार वर्ष 2014 में भी तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था जो एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और व्यापक विमर्श के पश्चात हुआ था।राठौड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए राज्यों के पुनर्गठन का

- राठौड़ ने कहा भील समाज का गौरवशाली इतिहास है , आदिवासी समाज हमारे देश की आत्मा हैं जिनकी परंपरा, संस्कृति और संघर्ष को मैं पूरा सम्मान देता हूं

आधार संवैधानिक प्रक्रिया की पालना के साथ देश की एकता, प्रशासनिक आवश्यकता और क्षेत्रीय संतुलन था।

उन्होंने यह कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद में पूर्ण चर्चा और सहमति से किया था। भारत की विविधता ही हमारी एकता की सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी विचार जो देश या राज्यों की एकता को खंडित करता हो वह किसी भी स्तर में स्वीकार्य नहीं होना चाहिये।

राठौड़ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग संविधान की भावना, ऐतिहासिक संदर्भ और

राष्ट्रीय एकता को दरकिनार कर ‘भील प्रदेश’ जैसे भ्रामक और विभाजनकारी विचार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिना किसी विधायी प्रस्ताव या संवैधानिक प्रक्रिया के सीधे नक्शा जारी करके स्वयं को लोकसभा, राज्यसभा और संविधान से ऊपर मानना क्या उचित है? आप कैसे स्वयंभू हो गए जो संसद को दरकिनार कर नक्शा जारी कर रहे हो?राठौड़ ने कहा कि आदिवासी समाज हमारे देश की आत्मा है जिनकी परंपरा, संस्कृति और संघर्ष को मैं पूरा सम्मान देता हूं।

भील समाज का गौरवशाली इतिहास है और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं लेकिन इसके नाम पर ‘राज्य तोड़ने’ की कोशिश संविधान और लोकतंत्र दोनों के साथ अन्याय है।राठौड़ ने कहा कि राजस्थान एक है, अभिन्न है और अटूट है। हमारे मतभेद विचारों में हो सकते हैं लेकिन बयानबाजी करते समय हमें उस संसदीय गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए जिसकी रक्षा करना हम सभी जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य है।

एस.आई. भर्ती पेपर लीक प्रकरण में अदालत ने जानी आयोग की कार्यप्रणाली

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती को लेकर आरपीएससी की कार्यप्रणाली जानी। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई को तय की है। जस्टिस समीर जैन को एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरपीएससी के वकील एमएफ बेग से भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा। इस पर आयोग के वकील ने प्रकरण में तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा को भर्ती की जिम्मेदारी देने से जुड़े आरपीएससी चेयरमैन का आदेश पेश किया। इस दौरान अदालत ने भर्ती को लेकर आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली की जानकारी चाहने की मंशा जताते हुए प्रकरण की कैमरा प्रोसेडिंग के निर्देश दिए और केस से जुड़े वकीलों के अलावा अन्य सभी को बाहर कर दिया। इसके बाद अदालत ने आयोग के वकील से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी चाही। जानकारी के अनुसार आयोग के वकील

नकल गैंग के सहारे लिपिक ग्रेड-॥ संयुक्त सीधी परीक्षा-2018 में चयनित लिपिक गिरफ्तार

जयपुर । राजस्थान लोक सेवा आयोग की सूचना पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए आयोग में कार्यरत लिपिक ग्रेड-प्रथम को आयोग कार्यालय से हिरासत में ले लिया। आरोपी कनिष्ठ सहायक-लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अन्तर्गत चयन पश्चात् लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर आयोग में नियुक्त हुई थी जो कि पदोन्नित पश्चात लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर कार्य कर रही थी।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरोपित सरोज बिश्नोई निवासी नोखा जिला-बीकानेर है। आरोपित के कनिष्ठ सहायक-लिपिक गेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर चयनित होने की जानकारी आयोग को गोपनीय माध्यमों से प्राप्त हुई थी। इस पर आयोग ने 24 मार्च 2025 को

‘राजस्थान में कहीं भी अत्याचार होता तो आरपीआई करेगी धरना प्रदर्शन’

जयपुर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) राजस्थान का प्रदेश कार्यकर्ता स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन ए आर जी ऑडिटोरियम शास्त्रीनगर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर पी आई (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले रहे।

राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधामोहन सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए रामदास आठवले ने कहा कि राजस्थान में अगर कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो पार्टी द्वारा उसका विरोध करते हुए धरना,प्रदर्शन कर अत्याचार को खत्म करो। इन्होंने बताया कि आगामी समय में आर पी आई पार्टी का विशाल सम्मेलन भी किया जाएगा।

- आरोपी सरोज बिश्नोई ने लिपिक ग्रेड -॥ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 (एलडीसी) की परीक्षा ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करके पास की थी, इसमें राजू मैट्रिक्स के साथ लीक पेपर नरेश दान से हल करवाया था

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी जयपुर को इस संबंध में सूचित किया गया।

इसके परिणाम स्वरूप एसओजी ने मामला दर्ज कर किया। जहां जांच दौरान पुलिस थाना एसओजी जयपुर ने यह

राजस्थान पुलिस का दो दिवसीय ऑपरेशन रहा सफल: दो दिन में 80 हजार वाहन जांच किया, करोड़ों का माल जब्त

- ए श्रेणी की नकाबंदी अभियान में 3 हजार 672 वाहन जब्त
- 1 हजार 519 स्थानों पर की नकाबंदी
- एमवी एक्ट के तहत 2 हजार 428 चालान किए गए। साथ ही 3 हजार 672 वाहन जब्त किए

हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच न पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस की टीमों ने पूरे राज्य में 1 हजार 519 नकाबंदी पॉइंट स्थापित किए, जहां दिन-रात चौकड़ अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमवी

48 ग्राम स्मैक सहित दो महिला तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। हरमाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए 48 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपित महिला तस्करों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे

- वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया

ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत हरमाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए 48 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित महिला तस्कर सम्पत्ति अटोलिया (31)निवासी दुरू जिला जयपुर ग्रामीण और हाल हरमाड़ा पिंकी सांसी (25) निवासी दौसा हाल हरमाडा जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपित महिला तस्करों से अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के बारे में जानकारी कर रही है।

पार्किंग से दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरफ्तार

जयपुर । जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खालीपुरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग से दुपहिया वाहन चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के पांच दुपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (एसपी जीआरपी अजमेर) नरेन्द्र सिंह ने बताया कि जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले टीकम बैरवा (26) निवासी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर और अजय सैनी (20) निवासी लेखराज नगर जयसिंहपुरा खोर को गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना पुलिस ने एएसआई जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। जहां टीम ने सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल कर वाहन चोरों का पीछा करते हुए पर-दबोचा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खालीपुरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों टीकम बैरवा और अजय सैनी को गिरफ्तार कर औरटीकाउड बनाने के लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण (वेस्ट सेपरेगेशन), कंपोस्टिंग यूनियट्स की स्थापना, और

जिंदा कारतूस सहित दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैप थाना पुलिस ने ऑपरेशन एक्शन ऑर्गेनट गन (आग) के तहत कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को पकड़ा है और उनके पास से पांच तीन जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन ऑर्गेनट गन (आग) के तहत सिंधी कैप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय फरमान उर्फ इंजु निवासी माणक चौक जयपुर और 20 वर्षीय साहिल उर्फ मुन्ना निवासी राजीव नगर जयपुर को गिरफ्तार कर उनके पास से पांच तीन जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से अवैध जिंदा कारतूस की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है।

राजस्थान पुलिस का दो दिवसीय ऑपरेशन रहा सफल: दो दिन में 80 हजार वाहन जांच किया, करोड़ों का माल जब्त

- ए श्रेणी की नकाबंदी अभियान में 3 हजार 672 वाहन जब्त
- 1 हजार 519 स्थानों पर की नकाबंदी
- एमवी एक्ट के तहत 2 हजार 428 चालान किए गए। साथ ही 3 हजार 672 वाहन जब्त किए

हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच न पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस की टीमों ने पूरे राज्य में 1 हजार 519 नकाबंदी पॉइंट स्थापित किए, जहां दिन-रात चौकड़ अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमवी

एक्ट के तहत 2 हजार 428 चालान किए गए। साथ ही 3 हजार 672 वाहन जब्त किए गए।

इसके अलावा 23 एफआईआर आम्स एक्ट,79 एफआईआर आबकारी अधिनियम, 25 एफआईआर एनडीएस एक्ट के तहत दर्ज सहित अन्य विशेष स्थानीय अधिनियमों के तहत 85 एफआईआर दर्ज की गईं और एफआईआर मामलों में 193 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा आगराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत 767 व्यक्ति सहित 960 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। बंसल ने इस सफल अभियान के लिए सभी पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की।

उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी ताकि प्रदेश में अमन-चैन कायम रहे और नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।

भाजपा की मीडिया कार्यशाला आज

- राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे मुख्य वक्ता

जयपुर। भाजपा की प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शुरू हो रही कार्यशाला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यध्वन सिंह राठौड़ संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्टों, संभांग एवं जिला मीडिया संयोजकों को आमंत्रित किया गया है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी पार्टी की विचारधारा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश स्तरीय मीडिया प्रतिनिधियों को संवाद के प्रभावशाली तरीकों से प्रशिक्षित करना है ताकि वे मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक और अधिक सशक्त बना सकें। इस दौरान प्रवक्ताओं और संयोजकों से

संवाद कर उनकी भूमिका और अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। इस दौरान कार्यशाला में बताया जाएगा कि मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे प्रभावशाली उपयोग कर पार्टी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही कार्यशाला में जिलेवार मीडिया संयोजकों से क्षेत्रीय अनुभवों पर चर्चा कर भविष्य की कार्ययोजना भी तय की जाएगी।

भाजपा की यह कार्यशाला संगठन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि दोपहर 4 बजे डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विषय पर विशेष कार्यशाला को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला में समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रहेगी। इस सत्र में डॉ. त्रिवेदी ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक पक्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

प्रवासी संघ राजस्थान ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को सौंपा महत्वपूर्ण प्रस्ताव

जयपुर। प्रवासी संघ राजस्थान की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले को जयपुर आगमन के अवसर पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रस्ताव सौंपा गया। जयपुर के होटल खासा कोठी में यह प्रस्ताव प्रवासी संघ राजस्थान के प्रदेश संयोजक भीम सिंह कासनियां की

- प्रवासियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला स्तर पर प्रवासी संघ की टीमों से सहयोग की मांग

ओर से केंद्रीय मंत्री आठवले को दिया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामपत सिंह कायल और समाजसेविका काजल सैनी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रवासी परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। इन प्रवासियों में से कई अब भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े



प्रवासी संघ राजस्थान ने केंद्रीय अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले (बीच में) का स्वागत किया।

हुए हैं तथा उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती।

भीम सिंह कासनियां ने केंद्रीय मंत्री आठवले को सुझाव दिया कि यदि सामाजिक न्याय विभाग, प्रवासी संघ की जिला स्तरीय टीमों के माध्यम से जन-जागरूकता और समस्या समाधान का

तंत्र विकसित करता है तो यह सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होगी।

प्रवासी संघ ने आग्रह किया है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रवासी संघ के सहयोग से शिविरों का आयोजन किया जाए, जिनमें दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति,

जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों को विभागीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।इससे एक ओर जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचेंगी, वहीं प्रवासियों को भी उनका संवैधानिक अधिकार व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।



पटना नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर डॉ नीतू कुमारी (दांये) को सम्मान प्राप्त हुआ।

वॉशरूम मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण पहल शामिल है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, माननीय महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी सरावत स्थाई समिति के सदस्यगण, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार परारार, अपर नगर आयुक्त आशिष कुमार, उप नगर आयुक्त रामाशीष तिवारी, नवगीत ब्रांड एम्बेसडर डॉ नीतू कुमारी नवगीत एवं सफ़ाई कर्मचारी सुलेखा एवं मानती और नगर निगम की टीम उपस्थित रही।

मिलकर आदतें सुधारें तो और बड़ी बनेगी पहचान : नीतू नवगीत राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम को मिले सम्मान से हर्षित पटना नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर डॉ नीतू कुमारी नवगीत ने सभी पटनावासी को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए तथा बिहार में सबसे बेहतर स्वच्छता के लिए पटना नगर को मिला सम्मान पटना के हर् व्यक्ति का सम्मान है। स्वच्छता के क्षेत्र में सभी ने मिलकर काम किया है जिससे पटना की रैंकिंग में सुधार आया है।

हर पटनावासी का सम्मान सब